कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी , प्रेमनगर, देहरादून
मिलेट मिशन योजना अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव उर्वरक/कृषि रक्षा रसायनों के सूचीबद्व/पंजीयन हेतु नियम एवं शर्ते

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नांकित सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव उर्वरक/कृषि रक्षा रसायनों की आपूर्ति हेतु मूल विनिर्माता फर्मों पी0एस0यु एवं भारत सरकार की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं से पंजीकरण आवेदन निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते है। पंजीकरण प्रपत्र उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट www.agriculture.uk.gov.in तथा कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून से प्रत्येक कार्य दिवस में नगद धनराशि जमा कर (प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक) दिनांक 22.03.2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। पंजीकरण प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय दिनांक 23.03.2026 को अपरान्ह–3:00 बजे तक है। **पंजीकृत डाक द्वारा या स्वयं द्वारा जमा किये गये पंजीकरण प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। पंजीकरण प्रपत्र दो भागों में स्वीकार किये जायेंगे, प्रथम भाग में तकनीकी प्रपत्र तथा दूसरे भाग में वित्तीय प्रपत्र होगा। पंजीकरण प्रपत्र दिनांक 24.03.2026 को पूर्वाहन 11:00 बजे क्रय समिति द्वारा खोली जायेंगे। क्रय समिति की जॉच/संस्तुति उपरान्त तकनीकी रूप से सफल फर्मो की दरों की सूचना जनपदों एवं फर्मों को www.agriculture.uk.gov.in बेवसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।**

पंजीकरण में सम्मिलित सूक्ष्म पोषक तत्व जैव उर्वरक/कृषि रक्षा रसायनों की पैंकिग, तथा धरोहर धनराशि, नियमों एवं शर्तो का विवरण निम्नवत है–

क्र0स0	रसायन का नाम	पंजीयन फीस (रू0 में)	वांछित पैंकिग	धरोहर धनराशि (रू0 में)
1	एजाडिरेक्टीन 0.15%EC	500.00	0.500 Ltr	25000
2	ट्राईकोडरमा विरडी CFU $2X10^6$ /gm min	500.00	0.500 Kg	25000
3	स्यूडोमोनास फलोरीसेन्स CFU $1X10^8$ /gm min	500.00	0.500 Kg	25000
4	विवेरिया वेसियाना 1.15%WP	500.00	0.500 Kg	25000
5	Metarhizium anisopliae	500.00	0.500 Kg	25000
6	एजटोबैक्टर	500.00	0.500 Ltr	25000
7	पी0एस0बी0	500.00	0.500 Ltr	25000
8	जेड0एस0बी0	500.00	0.500 Ltr	25000
9	माईकोराइजा	500.00	5.000 Kg	25000
10	सू0पो0त0 तरल (जिंक 3%)	500.00	0.500 Ltr	25000
11	सू0पो0त0 मिश्रण पाउडर (जिंक 6%)	500.00	5.000 Kg	50000
12	जिंक सल्फेट 33%	500.00	5.000 Kg	50000
13	बोरेक्स	500.00	5.000 Kg	50000

(I)–सामान्य निविदा शर्तें:–

1. अ) Website ls Download किये गये पंजीकरण प्रपत्र का निर्धारित शुल्क रू0–500.00 प्रति आईटम का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के पक्ष में कय किया गया हो, अथवा डी02 की रशीद।

ब)– प्रत्येक पंजीकरण के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी के रूप में प्रत्येक जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व/रसायन में अंकित धरोहर धनराशि (**Earnest money**) का बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी कामर्शियल बैंक से कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के पक्ष में क्रय किया गया हो। अर्नेस्ट मनी पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

स)– मूल विनिर्माता फर्म द्वारा 100/–रू0 (सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का नोटराईज्ड एफेडेबिट जिसमें मूल विनिर्माता फर्म को भारत सरकार, प्रान्तीय एवं केन्द्र शासित राज्यों में कहीं भी किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूची में सूचीबद्ध किये जाने विषयक सूचना (यदि हो) मूल विनिर्माता फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में उक्त सामग्री आपूर्ति विषयक किसी विवाद/विधिक कार्यवाही लम्बित (यदि हो) तो होने की सूचना पूर्ण विवरण सहित, फर्म द्वारा पंजीकरण में उपलब्ध करायी गयी समस्त सूचनायें सत्य एवं प्रमाणिक हैं।

2. पंजीकरण प्रपत्र में कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। निम्नलिखित प्रमाण पत्रों में अंकित वैधता तिथि को स्पष्ट व पठनीय बनाने हेतु हाईलाइट करते हुऐ समस्त अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (क) मूल विनिर्माता फर्म को गुणवत्ता प्रमाणन हेतु आई0एस0ओ0 सर्टिफाइट होना अनिवार्य होगा अथवा उनके द्वारा आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 प्रमाणित उत्पाद देना होगा।
   (ख) मूल विनिर्माता के समस्त वैध प्रमाणपत्र जैसे–पैन नं0, जी0एस0टी0, पंजीकरण प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
   (ग) मूल विनिर्माता फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा लाईसेन्स/प्रमाण पत्र।
3. अध्यक्ष क्रय समिति/कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड को किसी एक या सभी पंजीकरण प्रपत्रों को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. विभाग तथा आपूर्तिकर्ता फर्म के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में अन्तिम निर्णय का अधिकार अध्यक्ष क्रय समिति/कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून का होगा। किसी भी विधिक विवाद के निपटारे का कार्य क्षेत्र जनपद न्यायालय देहरादून का होगा तथा न्यायालय का फैसला अन्तिम होगा।
5. सूचीबद्व/पंजीकरण की वैधता सूचिबद्व/पंजीकरण तिथि से दो वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
6. अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत फर्म के पास आपूर्तित उर्वरक का प्रदेश में विक्रय प्राधिकार पत्र होना अनिवार्य होगा।
7. किसी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मूल विनिर्माता फर्म के किसी रसायन के नमूने को कीटनाशी अधिनियम 1985/एफ0सी0ओ0 1985 के अन्तर्गत अधोमानक/मिस्ब्राण्डेड घोषित किया गया हो अथवा सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही यथा जेल की सजा/आर्थिक दण्ड दे दिया गया हो, तो ऐसी दशा में क्रय समिति ऐसी फर्म के ऐसे रसायन/सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव उर्वरक की पंजीकरण आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का निर्णय लेगी, परन्तु यदि किसी फर्म द्वारा इस प्रकार के कृत्य को छुपाया जाता है और क्रय समिति को इस बात का संज्ञान हो जाता है, तो ऐसी दशा में कृषि निदेशक उत्तराखण्ड/अध्यक्ष क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वे ऐसी फर्म को ब्लैक लिस्ट घोषित करने की कार्यवाही करें।

(II) अनुभव सम्बन्धी शर्ते

8. मूल विनिर्माता/ फर्म को किसी राज्य/केन्द्र सरकार/उसके अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों को फर्टीलाईजर/पेस्टीसाइड आपूर्ति करने का न्यूनतम 03 वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य होगा। साक्ष्य के रूप में कार्यपूर्ति आदेशों की प्रति संलग्न करनी होगी।

(III) तकनीकी आवेदन पत्र हेतु तकनीकी शर्तें:–

9. पंजीकरण आवेदन पत्र के वित्तीय प्रपत्र पर आइटम वाइज/पैकिंगवाइज प्रति ली0/प्रति किग्रा0/प्रति यूनिट दरें अंकित की जायेंगी।
10. मूल विनिर्माता फर्म को सी0ए0 से सत्यापित विगत तीन वर्षो का टर्न ओवर का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। जिसमें गत तीन वर्षो का प्रति वर्ष का औसत टर्न ओवर रू0 02 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
11. जिन फर्मा का पंजीकरण स्वीकृत नहीं होगा उनकी अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।

(IV) आपूर्ति सम्बन्धी निविदा शर्तें:-

12. जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव रसायन की आपूर्ति फर्म द्वारा किसानों तक पहुँच बनाने के लिए अपना स्वयं का डीलर ऑउटलेट बना सकता है, या कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित निवेश केन्द्रों पर भी रखकर विक्रय कर सकता है। अथवा सहकारी समितियों से स्वयं अनुबंध कर निवेश की आपूर्ति कर सकते हैं।
13. निवेश का क्रय किसान द्वारा सीधे फर्म से स्वयं किया जाएगा। जिसका भुगतान किसान द्वारा सी0बी0डी0सी0 के माध्यम से किया जाएगा।
14. योजना में दिये जाने वाले अनुदान का निर्धारण अलग से किया जाएगा।
15. आपूर्ति किये जाने वाले रसायन/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की दरें सभी टैक्सों सहित उत्तराखण्ड के जनपद चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के न्याय पंचायत तक पहुँचते हुए अंकित की जाए।
16. आपूर्ति किये जाने वाले रसायन/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की पैकिंग पर आई0एस0आई0/बी0आई0एस0/आई0एस0ओ0 अंकित करना अनिवार्य होगा।
17. फर्म द्वारा रसायन/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व की पैकिंग पर नियमानुसार अमिट स्याही से बैच नम्बर, बैचवार निर्माण एवं कालातीत होने की तिथि का विवरण अंकित किया जायेगा, जो स्पष्ट रूप से पठनीय हो। साथ ही रसायन/जैव उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व आपूर्ति संबन्धी चालान एवं बिल पर भी रसायन के बैच नम्बर, निर्माण व कालातीत होने की तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी।
18. यदि आप द्वारा पंजीकरण में निर्धारित समस्त नियमों एवं शर्तों का परिपालन नहीं किया जाता है तो आपको काली सूची में डालने का पूर्ण अधिकार कृषि निदेशक को होगा , जिसके लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(V) वित्तीय/भुगतान सम्बन्धी निविदा शर्तें:-

19. इस पंजीकरण के माध्यम से कृषक नियमानुसार कार्यवाही करते हुए किसी भी फर्म से कृषि रक्षा रसायन, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक का क्रय कर सकते है।
20. यदि कोई फर्म न्यूनतम दर से अधिक पर कार्य करेगी। तो उस स्थिति में विभागीय देय अनुदान ही दिया जायेगा। शेष धनराशि कृषक को स्वयं वहन करनी होगी।

Digitally signed by
Dinesh Kumar
Date: 06.03.2026
12:19:07

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

परिशिष्ट–2

मूल्य रू0 500.00 प्रति निविदा फार्म (कर सहित)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून
पंजीकरण संख्या–01/माईक्रोन्यूट्रेन्ट
पंजीकरण/प्रस्ताव प्रपत्र

1. विनिर्माता फर्म का नाम व पूरा पता फैक्स फोन न0 आदि सहित–
2. विनिर्माता फर्म के अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक का नाम :–
3. आपूर्ति हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव रसायन/जैव उर्वरक का नाम :–
4. फर्म/रसायन के मानक स्तर का विवरण :–
   आई0एस0आई0/बी0आई0एस0/आई0एस0ओ0
   प्रमाण पत्र संलग्न करें।
   (1) अधिकृत मार्क.....................................
   (2) अधिकृत मार्क की संख्या.........................
   (3) अधिकृत मार्क की बैद्यता तिथि....................
5. फर्म रसायन के ग्रेड विनिर्माण का विवरण (विनिर्माण सम्बन्धी पजींकरण प्रमाण पत्र व राज्य का विनिर्माण लाइसेन्स, एफेडेविट संलग्न करें):–
   (1) पंजीकरण संख्या...................
   (2) राज्य विनिर्माण लाईसेन्स संख्या.....
   (3) राज्य विकय लाईसेन्स संख्या
   (4) अन्तिम बैद्यता तिथि..............................
   (5) फैक्ट्री जहां स्थित है।
      1. राज्य का नाम...............................
      2. स्थान का नाम...............................
6. प्रोडक्ट/रसायन की सेल्फ लाईफ का विवरण:–
   (1) 1 वर्ष 2 वर्ष या इससे अधिक जैसी भी स्थिति हो अंकित की जाय।
7. अर्नेस्ट मनी का विवरण:–
   (1) फर्म का नाम...............................
   (2) बैंक का नाम.....................
   (3) बैंक ड्राफ्ट संख्या................................
   (4) बैंक ड्राफ्ट की तिथि..............................
   (5) बैंक ड्राफ्ट की धनराशि रू0.................
8. आयकर पैन न0...
   (छाया प्रति संलग्न करे)
10. निविदा/ टेण्डर फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण ।
   (1) बैंक ड्रा0/डी02 सं0 व तिथि
   (2) जमा की गयी धनराशि `–
11. जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या :–
   (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. निविदादाता फर्म का रसायन आपूर्ति करने का अनुभव 3 वर्ष है अथवा नही
15. निविदादाता फर्म का 3 वर्षो का प्रति वर्ष का औसत टर्न ओवर रू0–2.00 करोड से अधिक है अथवा नही (विवरण संलग्न करें।)
16. क्या विर्निमाता फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है। "हां" और "नहीं" में उल्लेख किया जाय।

17. क्या फर्म के विरूद्ध उत्तराखण्ड प्रदेश अथवा किसी अन्य प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/ लम्बित है, अथवा निष्पादित हुई है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दें।
18. क्या विनिर्माता फर्म के विरूद्ध उत्तराखण्ड प्रदेश/किसी अन्य प्रदेश में किसी रसायन के अधोमानक/मिस्ब्राण्डेड घोषित होने की दशा में किसी प्रकार की कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। यथाः– जेल की सजा उसकी अवधि अथवा आर्थिक दण्ड एवं उसकी धनराशि यदि हां तो कितनी बार इसका पूर्ण विवरण दिया जाय। गलत सूचना देने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
19. क्या रसायन विनिर्माता फर्म के विरूद्ध कभी कोई आपराधिक कार्यवाही चली है यदि हां तो पूर्ण विवरण दें।

नोटः– 1. प्रत्येक बिन्दु से संबन्धित प्रमाण पत्र /अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त कम में ही प्रस्तुत की जायें।

निर्धारित पंजीकरण शर्तो पर सहमति

मेरे द्वारा प्रस्ताव/पंजीकरण की सभी शर्ते भली–भॉति पढ़ ली गयीं है तथा मैं सभी शर्तो से पूर्णतयाः सहमत हूँ।

फर्म/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि / निविदादाता के हस्ताक्षर....................................

पूर्ण पता..

....

फोन नम्बर..

फैक्स नम्बर..

सील..

पंजीकरण संख्या–01
सूक्ष्म पोषक तत्वों/जैव उर्वरक/जैव रसायन की वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु फर्मवार/रसायनवार/पैकिंगवार दरों का विवरण
पंजीकरण प्रपत्र

फर्म का नाम व पूरा पता	उत्पाद का रासायनिक नाम	क्र. सं.	पैकिंग ली0/ मि0ली0/ कि0ग्रा0/ ग्राम	दर रू0 प्रति कि0ग्रा0/प्रति लीटर/प्रति यूनिट					
				बेसिक मूल्य	सी0जी0एस0 टी0 @	एस0जी0ए स0टी0	आई0जी0ए स0 टी0 @	कुल मूल्य	एम0आर0पी0 (पैकिंगवार) प्रति ली0/कि0ग्रा0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.							
		2.							
		3.							
		4.							

नोट– 1– रसायन का एम0आर0पी0 अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

फर्म एव प्रदाय के हस्ताक्षर (मोहर सहित)..............

पूर्ण पता...

फोन..............................फैक्स न0..

https://eoffice-uttarakhand.uk.gov.in/efile/#/draft/0UKD0000302412/1/view?source=FILE&documentId=F00UKD0000177010&viewParam=eyJ 6/6

PDF.js viewer